

प्रेषक,

शैलेश कुमार
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक / / 2025

विषय : डा० अजय कुमार झा, ऐच्छिक सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सुपौल के अवकाश खाते में संचित 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपरोक्त विषयक वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-8889(2)वि० दिनांक-24.12.1986 पत्रांक-1829(2)वि० दिनांक 07.04.2005 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग के ज्ञाप संख्या-1751(25), दिनांक-04.10.2024 के आलोक में डा० अजय कुमार झा, ऐच्छिक सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सुपौल को उनके अवकाश खाते में संचित 300 (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

(2) डा० अजय कुमार झा का ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि-08.07.2024 है।

(3) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक-3338 दिनांक-05.12.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि डा० अजय कुमार झा दिनांक-01.07.2019 से 08.07.2024 तक उपार्जित अवकाश का उपभोग नहीं किए हैं (छायाप्रति संलग्न)।

(4) अनुरोध है कि सभी प्रकार के बकाया के सम्बन्ध में अपने स्तर से पूर्णतः संतुष्ट हो जाने के उपरान्त डा० अजय कुमार झा, ऐच्छिक सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल सुपौल के पक्ष में 300 (तीन सौ) दिन के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान हेतु प्राधिकार पत्र अधीक्षक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सुपौल के नाम से निर्गत करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(शैलेश कुमार)

ज्ञापानक-2/पेन-116/2024-

पटना, दिनांक 28/3 / 2025

प्रतिलिपि: महालेखाकर (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल/अधीक्षक, सदर अस्पताल, सुपौल/जिला कोषागार पदाधिकारी, सुपौल/डा० अजय कुमार झा, ऐच्छिक सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सुपौल पत्राचार का पता-मोहल्ला-वार्ड न०08, पिपराही रोड, टेक्निया वाल्ड, पो०+थाना-राघोपुर, जिला-सुपौल, पिन कोड-852111/प्रशाखा पदाधिकारी-03, 09 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।